पत्रांक-ब15/बी0एस0जी0-152/2014.... 810

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

डा0 बी0 राजेन्दर
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग
बिहार सरकार, पटना।

दिनांकः- 3.9.2014

विषय :- **योजना एवं बजट संबंधी विभागीय प्रस्ताव जॉच पत्र के साथ भेजने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रशासी विभागों द्वारा कई बार तकनीकि रूप से त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं जिससे निर्णय लेने और परामर्श देने में कठिनाई महसूस होती है और कार्य के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब भी होता है। विभागों द्वारा सही ढंग से प्रस्ताव भेजा जा सके और विभागीय प्रस्तावों पर शीघ्र परामर्श गठित हो, इस उद्देश्य से विभागों की सुविधा के लिए जॉच पत्रक (चेक लिस्ट) निर्धारित किए गए हैं।

निम्नांकित जॉच पत्रक संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रस्ताव के साथ संबंधित जॉच पत्रक में आवश्यक प्रविष्टि कर ही संचिका वित्त विभाग पृष्ठांकित करने की कृपा की जाय।

1. पुनर्विनियोग से संबंधित जॉच पत्र।
2. प्रत्यर्पण से संबंधित जॉच पत्र।
3. बी0सी0एफ0 से संबंधित जॉच पत्र।
4. जयघोष से संबंधित जॉच पत्र।
5. योजना से संबंधित मंत्रिपरिषद भेजे जाने वाले प्रस्ताव के लिए जॉच पत्र।

अनुलग्नकः- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(बी0 राजेन्दर)
सचिव (संसाधन)

सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार पटना
गै०स०प्रा०सं०..... 6585
दिनांक..... 05.9.14

सचिव कोषांग
04 SEP 2014

पुनर्विनियोग के प्रस्ताव हेतु जाँच पत्रक जिसे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ।

क्रमांक	विषय बिन्दु	हाँ / नही / लागू नही
1.	पुनर्विनियोग प्रस्ताव जिस मांग के अधीन प्रस्तावित है, प्रस्ताव उसी विभागीय मांग का है?	
2.	क्या प्रत्यर्पण से पुनर्विनियोग की जानेवाली राशि एक ही मांग/अनुदान के अधीन है?	
3.	क्या पुनर्विनियोग की जानेवाली राशि राजस्व व्यय से राजस्व व्यय के लिए प्रस्तावित है?	
4.	क्या पुनर्विनियोग की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय के लिये प्रस्तावित है?	
5.	क्या पुनर्विनियोग की जानेवाली राशि प्रभृत से प्रभृत के लिये प्ररतावित है?	
6.	क्या पुनर्विनियोग की जानेवाली राशि मतदेय से मतदेय के लिये प्रस्तावित है?	
7.	क्या पुनर्विनियोग की जानेवाली राशि जिस उपशीर्ष से पुनर्विनियोजित की जा रही है उस उपशीर्ष के मूल बजट में कुल योग के 25 प्रतिशत की सीमा में है?	
8.	क्या पुनर्विनियोग के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है?	
9.	क्या जिस विषय शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस विषय शीर्ष में कोई राशि/बजट उपबंधित है?	
10.	क्या पुनर्विनियोग संबधी विहित प्रपत्र की सभी कंडिकाओं को पूर्ण रूप से भरा गया है?	
11.	क्या पुनर्विनियोग से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रारूप संचिका के पत्राचार भाग पर रखा गया है?	

सहायक का हस्ताक्षर

अवर बजट नियंत्रक/उप सचिव का हस्ताक्षर

प्रत्यर्पण के प्रस्ताव हेतु जाँच पत्रक जिसे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ।

क्रमांक	विषय बिन्दु	हाँ / नही / लागू नहीं
1.	क्या प्रत्यर्पण की जानेवाली राशि की भली भाँति जाँचकर ली गई है?	
2.	क्या प्रत्यर्पण की जाने वाली राशि जिस मांग में प्रस्तावित है प्रस्ताव उसी मांग (विभाग) द्वारा दिया गया है?	
3.	क्या प्रत्यर्पण संबंधित आवेदन पत्र तथा अनुसूची 5 प्रतियों में हस्ताक्षरित एवं निर्गत है?	
4.	क्या प्रत्यर्पण के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है?	
5.	क्या प्रत्यर्पण के कारणों का उल्लेख प्रत्यर्पण से संबंधित आवेदन पत्र की अनुसूची के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित है?	

सहायक का हस्ताक्षर

अवर बजट नियंत्रक / उप सचिव का हस्ताक्षर

बी0सी0एफ0 अग्रिम के प्रस्ताव हेतु जाँच पत्रक जिसे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ।

क्रमांक	विषय बिन्दु	हाँ / नही / लागू नहीं
1.	क्या बी0सी0एफ0 अग्रिम प्रस्ताव की भली भाँति जाँचकर ली गई है?	
2..	क्या बी0सी0एफ0 अग्रिम का प्रस्ताव जिस मांग में प्रस्तावित है, प्रस्ताव उसी विभाग द्वारा दिया गया है?	
3.	क्या बी0सी0एफ0 अग्रिम संबधित आवेदन पत्र तथा अनुसूची 5 प्रतियों में हस्ताक्षरित एवं निर्गत है?	
4.	क्या अग्रिम की राशि अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी गयी है?	
5.	यदि प्रस्तावित अग्रिम एक करोड़ रूपये से अधिक है तो मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए संलेख प्रारूप दिया गया है?	
6.	क्या बजट शीर्ष पूर्ण रूप में लिखा गया है?	
7.	क्या बी0सी0एफ0 अग्रिम के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है?	
8.	क्या आवेदन पत्र में तथा संकल्प एवं राज्यादेश प्रारूप में बजट शीर्ष पूर्ण रूप से लिखा गया है?	
9.	क्या मामला न्यायादेश से संबंधित है? यदि हाँ तो, (क) यह जयघोष राशि है अथवा नही? (ख) जयघोष की राशि की स्थिति में वित्त विभाग का मंतव्य प्राप्त है? (ग) विधि विभाग द्वारा राज्यादेश प्रारूप में सहमति दी गयी है? (घ) न्याय निर्णय की प्रति की पृष्ठ संख्या–	

सहायक का हस्ताक्षर

अवर बजट नियंत्रक / उप सचिव का हस्ताक्षर

जयघोष के सूद आवंटन प्रस्ताव हेतु जाँच पत्रक जिसे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ।

क्रमांक	विषय बिन्दु	हाँ / नही / लागू नहीं
1.	क्या जयघोष के सूद आवंटन प्रस्ताव की भली भाँति जाँचकर ली गई है?	
2.	क्या जयघोष के सूद आवंटन के प्रस्ताव पर विधि विभाग द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृति संबंधित पत्र संचिका पर उपलब्ध है?(पृष्ठ अंकित करें)	
3.	क्या विधि विभाग द्वारा निर्गत जयघोष सूद की स्वीकृति संबंधित पत्र में, राशि, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार एवं विपत्र कोड का स्पष्ट उल्लेख किया गया है?	
4.	क्या विभाग द्वारा प्रस्तावित राशि एवं विधि विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में में अंकित राशि की जांच की गयी है?	
5.	सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित सूद भुगतान संबंधी न्यायालय के न्याय निर्णय को संचिका पर रखा गया है? (पृष्ठ अंकित करें)।	
6.	सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ संबंधित सूद भुगतान मद में न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में देय राशि की जांच कर ली गयी है?	

सहायक का हस्ताक्षर

अवर बजट नियंत्रक / उप सचिव का हस्ताक्षर

मंत्रिपरिषद को भेजे जाने वाले योजना संबंधी प्रस्ताव (संलेख) के संदर्भ में जाँच–पत्र

(प्रशासी विभागों द्वारा भरा जाएगा)

क्रमांक	विषय बिन्दु	अभ्युक्ति
1.	विभाग का नाम –	
2.	संक्षिप्त प्रस्ताव –	
3.	वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 96 दिन 03.01.2008 के आलोक में क्या प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति आवश्यक है?	
4.	क्या मामला सहायक अनुदान की स्वीकृति / पद सृजन की स्वीकृति / नियमावली / अधिनियम के निर्माण एवं संशोधन से संबंधित है ?	
5.	अगर उपरोक्त क्रमांक 3 एवं 4 स्वीकारात्मक है, तो क्या इससे संबंधित संलेख प्रारूप संचिका पर रखा गया है–	
6.	क्या संलेख प्रारूप विभागीय प्रस्ताव के अनुरूप है ?	
7.	क्या संलेख प्रारूप में मंत्रिपरिषद से सहमति प्राप्त किए जाने वाले प्रस्ताव को एक अलग कंडिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है?	
8.	अगर प्रस्ताव में वित्तीय मामला सन्निहित है तो क्या संलेख में संबंधित बजट शीर्ष का उल्लेख किया गया है ?	
9	क्या अन्य संबंधित विभागों से प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप में सहमति प्राप्त कर ली गई है ?	
10.	क्या संलेख के साथ सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं?	
11.	क्या प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है?	

संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी का हस्ताक्षर